न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–08/2024

प्रार्थीः–

ताराचन्द उर्फ ताराराम पुत्र नरसाराम जाति सुथार निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री हीराचंद सुथार अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.05.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1438,2037/1155,2040/1154 व 2042/1439 रकबा 0.9308,4.7349, 0.5584 व 1.0521 हैक्टयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,जन आधार कार्ड ,पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, एस.बी.आई. बैंक मोकलसर द्वारा जारी बैंक पास बुक आदि में उसका वास्तविक नाम ''ताराचंद पुत्र नरसाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' ताराचंद पुत्र नरसाराम '' के स्थान पर ''ताराराम पुत्र नरसाराम'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/691 दिनांक 20.03.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की । प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,जन आधार कार्ड ,पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस तथा ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम ताराचंद पुत्र नरसाराम है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' ताराचंद पुत्र नरसाराम '' के स्थान पर ''ताराराम पुत्र नरसाराम '' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध

प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,जन आधार कार्ड ,पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, एस.बी.आई. बैंक मोकलसर द्वारा बैंक पास बुक व ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ताराचंद पुत्र नरसाराम दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ताराराम पुत्र नरसाराम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ताराचंद पुत्र नरसाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1438,2037/1155,2040/1154 व 2042/1439 रकबा 0.9308,4.7349, 0.5584 व 1.0521 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "ताराराम पुत्र नरसाराम" के स्थान पर "ताराचंद पुत्र नरसाराम " दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested